Hindi

EQUITY IN EDUCATION COALITION

निष्कासन पाबन्दी सूचना पत्र

पाबन्दी 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है

फरवरी 29, 2020 को गवर्नर इंस्ली ने घोषणा 20-05, जारी की है जिसमें वाशिंगटन स्टेट के सभी प्रांतों में, COVID -19 के यूनाइटेड स्टेट्स में प्रकोप और वाशिंगटन स्टेट में निश्चित रूप से व्यक्ति से व्यक्ति द्वारा फैलाव, के परिणाम स्वरूप आपातकालीन स्थिति लागू करने का आदेश है।

वाशिंगटन राज्य के सभी स्थानों में निष्कासन पर एक अस्थायी पाबन्दी और उससे सम्बंधित कार्यवाही से हमारे उन कर्मचारी लोगों के लिए जो नौकरी से निकाले गए हैं या जिनके काम के घंटे घटा दिए गए हैं या जो COVID-19 के संक्रमण से प्रभावित होने के कारण किराया देंने में असमर्थ हैं , उनकी आर्थिक कठिनाई और उससे जुडी जिंदगी, स्वास्थ्य और सुरक्षा का खतरा कम करने में मदद होगी।

विशेष रूप से, निष्कासन पर एक अस्थायी पाबन्दी और उससे जुडी कार्यवाही से (1) आवासीय अस्थिरता घटेगी, (2) आवासियों को घर में रहने की समर्थता होगी यदि उन्हें आवश्यक कार्य न करना हो या आवश्यक सेवाओं में काम करने न जाना हो, और (3) वाशिंगटन राज्य में COVID-19 के बढ़ाव को घटाने से सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा में वृद्धि होगी।

गवर्नर के ऑफिस की सरकारी घोषणा यह है

नोट करने वाले आवश्यक तथ्य:

1. **इस पाबन्दी का यह मतलब नहीं है की आपको किराया नहीं देना होगा। निष्काषन पाबन्दी के अंतर्गत, मकान मालिक आवासीय किराया नहीं बढ़ा सकते और उनसे अपेक्षा है की वे किरायदारों के सामने क़र्ज़ अदायगी की योजना का प्रस्ताव रखें। पाबन्दी के अंतर्गत, मकान मालिक विलम्ब शुल्क भी नहीं मांग सकते। निवासी अन्य कारणों जैसे संपत्ति को हानि पहुँचाने या अनुचित आचरण हेतु फिर भी निष्कासित किये जा सकते हैं।**
2. **यह घोषणा, जिसमे इंस्ली के हस्ताक्षर हैं, किरायदारों के विरुद्ध हिंसा पर प्रतिबन्ध लगाती है और किरायदारों के मुकदमों के लिए क़ानूनी सुरक्षा प्रदान करती है।**
3. **आप संकट की स्थिति में निष्काषित नहीं किये जा सकते जब तक की आप कोई खतरा न उत्पन्न करें या आपका मकान मालिक मकान बेचना न चाहे या स्वयं मकान में बसना न चाहे।**
4. **यदि आपका मकान मालिक इस निष्कासन पाबंदी का उलंघन करता है, तो वाशिंगटन राज्य के ऑफिस ऑफ़ अटॉर्नी जनरल में शिकायत दर्ज करिये।**
5. **अगर आप को भुगतान या निष्कासन का नोटिस मिले तो आप इस पत्र का नमूना अपने मकान मालिक को भेज सकते हैं। आप अपने मकान मालिक से वार्तालाप में मदद के लिए इस COVID-19 लीस अमेंडमेंट टूल किट का इस्तेमाल कर सकते हैं।**
6. **सभी के लिए COVID आर्थिक सहयोग के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं।**